बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र रजीराम के नाम भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 74/71 के पत्थर नम्बर 41/220 (18) किला नम्बर 1 से 4, 7 से 10 कुल 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र रजीराम का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 हंसराज व वादी संख्या 2 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़
मिलान किया
Scanned with CamScanner